प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

चार प्रकरणों/वादों में सतत पैरवी कर करायी गयी सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारी को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप विगत माह में 04 प्रकरणों/वादों में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है। विवरण निम्नवत् हैः-

1. **हत्याभियुक्त के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा-** थाना रामकोट से सम्बन्धित मु0अ0सं 405/10 धारा 302/34 भादवि बनाम मानसिंह पुत्र बिहारी यादव निवासी चौखड़िया थाना पिसांवा जनपद सीतापुर में रामकोट पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 26.02.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय श्रीमान ASJ/FTC द्वारा अभियुक्त मानसिंह उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये आर्थिक दंड सजा सुनायी गयी।
2. **एन.डी.पी.एस.एक्ट के दो अभियुक्तों को हुयी सजा-** थाना थानगांव से सम्बन्धित मु0अ0स0 196/2020 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस.एक्ट बनाम इन्द्रेश कुमार पुत्र ओमकार निवासी चन्दौली थाना थानगांव सीतापुर व थाना हरगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 245/06 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट बनाम सन्तोष पुत्र विनोद निवासी नौनेर थाना हरगांव सीतापुर द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज माननीय अपर सत्र न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट सं0-12 द्वारा विचारण पूर्ण कर अभियुक्त इन्द्रेश को 01 वर्ष कारावास व 10,000/- रू0 अर्थदण्ड तथा अभियुक्त सन्तोष उपरोक्त को 02 वर्ष कारावास व 2,000/- रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
3. **बच्चा चोरी करने वाली अभियुक्ता को हुई सजा-** थाना मिश्रिख से सम्बन्धित मु0अ0स0 85/11 धारा 363 भादवि बनाम अभियुक्ता एनुननिशा पत्नी राजेश बंगाली निवासी ग्राम छतमरसपुर थाना महराजपुर जिला कानपुर द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया

गया। आज माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश एच0जे0एस0 द्वारा विचारण पूर्ण कर अभियुक्ता एनुननिशा को अन्तर्गत धारा 363 में 07 वर्ष का कारवास एवं 5,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।